भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3276
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

कर्नाटक में मिशन शक्ति और पीएमएमवीवाई

3276. श्री ई. तुकाराम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के बल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मिशन शक्ति के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो वहाँ पर कार्यरत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और अन्य महिला सहायता सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और अन्य प्रमुख महिला कल्याण योजनाओं के तहत लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है;
(ग) क्या उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए पर्याप्त आश्रय गृह, बाल-गृह सुविधाएं/अन्य सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या सरकार का उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा अतिरिक्त सहायता सेवाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण के लिए जीवन चक्र के सभी चरणों में उनकी आवश्यकताओं

को पूरा करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला नेतृत्व वाला विकास' 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं का कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन मुख्य वर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है अर्थात: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य।

'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए किए जाने वाले पहलों को सुदृढ़ करना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा सशक्तीकरण के लिए दो उप-योजनाएँ क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

1) **वन स्टॉप सेंटर** देश भर में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहयोग और सहायता प्रदान करता है। यह देश भर में जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, देश भर में 991 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील किए गए हैं और इनकी स्थापना अर्थात 01 अप्रैल,2015 से 30 जून, 2026 तक देश में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। कर्नाटक राज्य में, बल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बल्लारी जिले में एक ओएससी और विजयनगर जिले में दो ओएससी सहित 44 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं तथा कर्नाटक राज्य में इन ओएससी के माध्यम से 44,926 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। चूँकि यह योजना मांग-आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी एवं जिन जिलों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है वहां तथा आकांक्षी जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2) **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181)** आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं

प्रदान करती है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। इसकी स्थापना के बाद से (1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक) पूरे देश में महिला हेल्पलाइनों के माध्यम से 1.04 करोड़ से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है, जिसमें कर्नाटक राज्य में 1,23,643 महिलाओं की सहायता की गई है।

3) **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** बाल लिंग अनुपात, बालिका एवं महिला सशक्तीकरण से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। इस योजना में विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और बड़े पैमाने पर जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई है।

4) **अदालत** योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

1) **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिनांक 01.01.2017 से देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिनमें कर्नाटक का बल्लारी जिला भी शामिल है, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) क्रियान्वित कर रहा है (तेलंगाना को छोड़कर, जो पीएमएमवीवाई पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया में है)। पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते

हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।

कर्नाटक के बल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (बल्लारी और विजयनगर जिलों) में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएमवीवाई योजना के अंतर्गत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	बल्लारी ज़िले में पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	विजयनगर ज़िले में पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	कर्नाटक में पीएमएमवीवाई के तहत भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या
1.	2023-24	4,321	170	1,64,345
2.	2024-25	26,519	15,499	7,30,921
3.	2025-26	21,609*	9,309*	6,97,073#

* दिनांक 31.10.2025 तक के आंकड़े। दिनांक 01.11.2025 से जिला-वार भुगतान का आंकड़ा मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई को शामिल करने से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की राज्य स्तर पर प्रक्रिया जारी है।

#राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए-स्पर्श प्रणाली पर पीएमएमवीवाई को शामिल करने से संबंधित एपीआई के कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी होने के कारण, लाभार्थियों को किए गए भुगतान के आंकड़े (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए) केवल पीएफएमस पोर्टल के आंकड़े पर आधारित एक अनुमान है।

2) **शक्ति सदन:** व्यापक 'मिशन शक्ति' के तहत, कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' और दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए 'उज्ज्वला' गृह योजनाओं को 01.04.2022 से मिला दिया गया है और अब उन्हें 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण स्थितियों में महिलाओं के लिए एक एकीकृत

राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। शक्ति सदन आश्रय और पुनर्वास सहायता प्रदान करते हैं संकटग्रस्त महिलाओं का सहयोग करने में सहायक है जिसमें दुर्व्यापार से प्रभावित महिलाएँ भी शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चा के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, किराए के परिसरों में शक्ति सदन के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, कर्नाटक में 40 शक्ति सदन कार्यशील हैं।

3)**सखी निवास:** व्यापक मिशन शक्ति के तहत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला आवास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी तथा उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, और रोजगार-संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित तथा सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस योजना में किराए के आवास के लिए निधि प्रदान की जाती है। वर्तमान में, कर्नाटक में 57 सखी निवास कार्यशील हैं, जिनमें बल्लारी जिले में 3 सखी निवास शामिल हैं और बल्लारी जिले में इस योजना के तहत 26 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। ।

4) **पालना-** मंत्रालय ने 01 अप्रैल 2022 से आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (पालना) योजना शुरू की, ताकि सभी माताओं के बच्चों (आयु 06 महीने – 06 वर्ष) को उनकी रोजगार स्थिति पर ध्यान दिए बिना सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में डे-केयर क्रेच सुविधाएँ प्रदान की जा सकें, साथ ही बच्चों के पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, वृद्धि की निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि भी सुनिश्चित किए जा सकें। पालना योजना को क्रेचों की पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और वे देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से बाहर न हों। वर्तमान में, कर्नाटक में 164 एडब्ल्यूसीसी

क्रियाशील हैं, जिनमें बल्लारी जिले में 03 शामिल हैं। कर्नाटक के बल्लारी जिले में लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
कर्नाटक के बल्लारी जिले में लाभार्थियों की संख्या	75	75

5) **संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)**: संकल्प: एचईडब्लयू (महिला सशक्तीकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में सूचना और ज्ञान के अभाव को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और अधिकार प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडों सिस्टम) के रूप में कार्य करता है। संकल्प केंद्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ समन्वय में जागरूकता कार्यकलापों, शिविरों और अभियानों का आयोजन करके व्यापक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। यह दृष्टिकोण लक्षित आईसी सामग्रियों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करके, स्थानीय जागरूकता अभियान चलाकर तथा स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मंचों पर जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता सृजन और सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करता है। अब तक कुल 35 राज्य संकल्प: एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू कार्यशील हैं, जिनमें बल्लारी और विजयनगर जिलों में प्रत्येक में एक जिला महिला सशक्तीकरण केंद्र (डीएचईडब्ल्यू) शामिल है। कर्नाटक के बल्लारी और विजयनगर जिले में लाभार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
कर्नाटक के बल्लारी जिले में लाभार्थियों की संख्या	362	0
कर्नाटक के विजयनगर जिले में लाभार्थियों की संख्या	85	1063

वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के तहत कार्यकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, महिलाओं और बच्चों को सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नियमित रूप से योजना की समीक्षा करते हैं।

नीति आयोग के माध्यम से 2020 में और फिर 2025 में मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना सहित मंत्रालय की योजनाओं का दो तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया है। इन अध्ययनों में योजना की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और निरंतरता को संतोषजनक पाया गया है।

मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है तथा इस योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। निधियाँ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमस) की सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जा रही हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा पीएमएमवीवाई योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और पूरे देश में योजना के कवरेज का विस्तार करने के लिए कई उपाय और पहलें की गई हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. पीएमएमवीवाई के लिए नया पोर्टल, जो पूरी तरह से कागज़रहित है, मार्च 2023 में शुरु किया गया। पूर्व के दिशानिर्देश के अनुसार, आगे की प्रक्रिया के लिए पहले के पीएमएमवीवाई -सीएएस पोर्टल पर भौतिक प्रपत्रों को भरकर अपलोड करना आवश्यक था। नई प्रणाली में, भौतिक आवेदन प्रपत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्णत: ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।
ii. भुगतान आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली [बीपीएस] के माध्यम से किए जाते हैं क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल आवेदकों की पहचान संबंधी विवरणों की पुष्टि करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (चेहरे की पहचान के माध्यम से) के लिए सक्षम है।

iii. तेजी से कार्रवाई करने के लिए पंजीकरण के समय सभी अनिवार्य प्रावधानों जैसे आधार सत्यापन, बैंक खाते को डीबीटी अनुकूल बनाया जाना इत्यादि की जांच की जाती है।

iv. सभी नामांकित लाभार्थियों के लिए स्थिति खोजें और ट्रैक करें की सुविधा है, जिससे वे अपने आवेदनों की स्वीकृति और भुगतान की स्थिति देख सकें।

v. सभी नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने और स्थिति देखने का मॉड्यूल है, जिससे वे पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कर सकें। यह मॉड्यूल सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को शिकायत भेजता है जिससे समय की बचत होती है और तेजी से समाधान होता है।

vi. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए पीएमएमवीवाई टोल-फ्री और बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से आवेदकों/लाभार्थियों को विभिन्न चरणों जैसे आवेदन का पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान इत्यादि में 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

vii. पीएमएमवीवाई पोर्टल एडब्ल्यूसी स्तर तक एलजीडी अनुकूल है। एलजीडी सीडिंग राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/जीपी/वार्ड स्तर तक शुरू की गई है।

viii. ओपन एपीआई अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालय/विभाग के साथ डेटा साझा करने की सुविधा देता है।

ix. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/क्षेत्र/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

x. डेटा केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए पीएमएमवीवाई का उपयोग आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा किया जाएगा।

xi. पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'ड्यू लिस्ट' बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु **संकल्प** -हब (**एचईडब्ल्यू**) योजना के माध्यम से मातृत्व लाभ सहित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) क्रियाकलाप जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर अभियान, सामुदायिक

कार्यक्रम इत्यादि, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय समय-समय पर पीएमएमवीवाई के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान भी आयोजित करता है।

डिजिटल निगरानी को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने योजना की तत्समय निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मिशन शक्ति डैशबोर्ड तैयार किया है। यह डैशबोर्ड जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त लाभार्थियों, उपलब्ध कराई गई सेवाओं, बुनियादी ढांचे, कार्यकलापों और सुविधाओं की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

मंत्रालय ने नियमित प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने के उपाय भी किए हैं। निमहांस, एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी और सी-डैक के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें मनो-सामाजिक परामर्श, जेंडर संवेदीकरण, नैतिक कॉल प्रबंधन, केस प्रबंधन, डैशबोर्ड संचालन, रेफरल तंत्र और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सी-डैक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय और व्यावहारिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, डैशबोर्ड सहायता, समस्या निवारण और एमआईएस/डेटा विश्लेषण सहायता भी प्रदान करता है।

****